

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
JODHPUR

S.B. Civil Misc. Appeal No. 2452/2025

Manoj Kumar

----Appellant

Versus

Manoj Kumar Bohra

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. Krishnakant Vyas
For Respondent(s)	:	

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

07/08/2025

प्रत्यर्चीगण को नोटिस जारी किया जावे।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी के निवेदन पर प्रत्यर्ची संख्या 1 व 2 पर नोटिस की तामील से अभिमुक्ति प्रदान की जाती है।

प्रत्यर्ची संख्या 3 को 6 सप्ताह में वापसी योग्य नोटिस जारी किया जावे।

प्रत्यर्ची संख्या 3 की तामील हेतु योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी पीएफ व नोटिस दो प्रतियों में दो सप्ताह की अवधि में पेश करे।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने पर 6 सप्ताह में वापसी योग्य नोटिस दो प्रतियों में जारी कर एक प्रति साधारण प्रक्रिया से तथा दूसरी प्रति रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजे जाने हेतु अपीलार्थी अथवा उसके अधिवक्ता को दस्ती उपलब्ध करवायी जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J